


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक निग.3116 / 2018

जिला-सतना

योगेन्द्र प्रताप सिंह / विनय सिंह

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, बूत जैतवारा, तहसील बिरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 44/अ-6(2)/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो।</p>	


(बी.एम.शर्मा),
सदस्य